तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/12/22	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। प्रकरण में निर्णय पृथक से किया कर जारी आदेश किया गया। पत्रावली अभिलेखागार भेजी जाए। दाखिल दफ्तर अंजना सहरावत उपखण्ड अधिकारी इटावा

...ायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज0

...12 तारीख दायरा 12/03/2012 तारीख फैसला 19/12/2022

...ासीन अधिकारी— अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

उनवान

सोहनलाल पुत्र रामनाथ जाति मीणा निवासी बागरोद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

— वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादी

अन्तर्गत धारा 88,89 आरटी एक्ट वाद वास्ते खातेदारी घोषणा

निणर्य

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी के खुद काश्त की कृषि आराजी खसरा नम्बर 195 की रकबा 0.58 है0 वो शेरपुर तहसील पीपल्दा में स्थित है जिस पर वादी एक लम्बे समय से शांतिपूर्ण तरीके से काबिज काश्त चला रहा है। जिसे आगे की मदों में सुविधा के लिए विवादित आराजी कहा गया है।

यह कि वादी के पूर्वज उक्त विवादित कृषि आराजी पर सम्वत् 2012 से भी पूर्व से काबज काश्त चले आ रहे है तथा मौजूदा समय में वादी अक्त विवादित कृषि आराजी खसरा नम्बर 195 की रकबा 0.58 है0 वाके शेरपुर पर शांतिपूर्ण तरीके से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

यह कि उक्त विवादित कृषि आराजी का वाद सेटलमेन्ट सम्वत् 2041—2060 नवीन खसरा नम्बर 195 की रकबा 0.58 है0, कायम किये गये तथा वादी उक्त विवादित कृषि आराजी या खुद काश्त करता चला आ रहा है। किन्तु इन सबके बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा कॉलम नं. 3 में भूमि धारक के कॉलम में राजस्थान सरकार होने के बावजूद भी कॉलम नं. 4 में खाता सरकार शब्द का अंकन किया जा रहा है। जबकि भू धारक के कॉलम में राजस्थान सरकार होने के बावजूद भी कॉलम नं. 4 में खाता सरकार शब्द का अंकन होने के पश्चात खातेदार/कृषक/काश्तकार के कॉलम नं. 4 में खाता सरकार दर्ज करने का कोई कानूनी औचित्य नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार का नाम कॉलम नं. 3 में भू धारक होने के नाते दर्ज ही किया जा रहा है किन्तु इसके बावजूद भी राजस्व विभाग द्वारा उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन को कॉलम नं. 4 में लगातार दोहराया जा रहा है, जिसका कोई कानूनी औचित्य नहीं है तथा जो गैरकानूनी कृत्य की श्रेणी में आता है तथा कातकार/कृषक के कॉलम नं. 4 में लगातर गैर कूननी त्रुटिपूर्ण अंकर खाता सरकार के इन्द्राज होने से वादी को भू सुधार करने व अन्य र्का करने में काफी परेशानी उठानी पड रही है।

यह कि वादी के पूर्वज विवादित कृषि भूमि प राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व से ही खुद काश्त होकर शांतिपूर्ण तरीके से काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा राजस्थान सरकार को लगान राजस्व जमा कराते चले आ रहे हैं। इसलिए वादी खाता सरकार का अंकल कॉलम नं. 4 से विलोपित करवाते हुए स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करवाने का अधिकारी है तथा वादी प्रतिवादी के विरूद्ध धोषणा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।

यह कि वादी द्वारा प्रतिवादी से कई बार उक्त अंकन को हटाने का निवदेन किया तो प्रतिवादी द्वारा वादी को भरोसा दिलाया गया कि मैं उक्त अंकन को विलोपित कर दूंगा, किन्तु दिनांक 10.02.2012

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा

[illegible] द्वारा उक्त [illegible] इन्द्राज [illegible] किया गया इसलिए वादी [illegible] वादी प्रतिवादी के विरूद्ध [illegible] डिक्री [illegible] है।

[illegible] प्रतिवादी [illegible] सरकार [illegible] इन्द्राज [illegible] पेश किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा नम्बर [illegible] की रकबा 0.58 है० वाके माल मौजा शेरपुर के कॉलम नं. 4 से खाता सरकार अंकन को विलोपित करते हुए वादी को खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज पेश किये गये–

1. जमाबन्दी ग्राम शेरपुर खाता संख्या 14 सम्वत् 2067–2070
2. जमाबन्दी ग्राम शेरपुर खाता संख्या 19 सम्वत् 2075–2078
3. जमाबन्दी ग्राम शेरपुर खाता संख्या 23 सम्वत् 2071–2074
4. [illegible] ग्राम शेरपुर
5. नकल जमाबन्दी ग्राम शेरपुर खाता संख्या 150 सम्वत् 2041–2060

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार [illegible] की ओर से जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश करते हुए वाद को आंशिक रूप मे स्वीकार कर वादी को विवादित आराजी पर कब्जे काश्त मानते हुए ग्राम शेरपुर की [illegible] जमाबन्दी शेरपुर मे 2040– 60 मे खाता स. 150 पर खाता सरकार [illegible] खसरा न. 195 रकबा 0.58 है0 दर्ज रिकार्ड होना अपने जवाब मे अंकित किया है। प्रकरण को बहस पर नियत किया गया। प्रकरण मे वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रस्तुत वाद पत्र के कथनों को ही दोहराया गया।

वादी अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का मनन एवं अवलोकन किया गया। विवादित आराजी पर वादी का राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व से ही खुद काश्त होकर शांतिपूर्ण तरीके से [illegible] काश्त करते आ रहे हैं। विवादित आराजी पर खाता सरकार जैसी के साथ [illegible] रिकॉर्ड है। जमाबन्दी के कॉलम न 4 मे खाता सरकार का अंकन लिखा जाने का अब कोई औचित्य नहीं रहा है। अतः ग्राम शेरपुर के खाता संख्या 19 पर से कॉलम न. 4 मे अंकित खाता सरकार जैसी शब्द हटाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा नम्बर 195 की रकबा 0.58 हैक्टर वाके माल मौजा शेरपुर के कॉलम न. 4 से खाता सरकार अंकन को विलोपित किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/12/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

अंजना [illegible]
उपखण्ड अधिकारी [illegible]

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

उनवान

सोहनलाल पुत्र रामनाथ जाति मीणा निवासी बागरोद तहसील पीपल्दा जिला कोटा

– प्राथीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसलीदार पीपल्दा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

– अप्रार्थीगण

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू मुझ अंजना सहरावत आर0ए0एस0 बहाजिरी श्री फिरोज आब्दी एडवोकेट मिनजानिब मुददई रुबरू मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद स्वीकार किया जाता है। वादी के खाते एवं कब्जे एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा नम्बर 195 की रकवा 0.58 हैक्टर वाके माल मौजा शेरपुर के कॉलम नं. 4 से खाता सरकार जैली अंकन को विलोपित किया जाकर वादी के खातेदार घोषित कया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 19/12/22 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा